प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 11.04.2025

प्रेस नोट

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के तीनों जोन के सभी थाना क्षेत्रों में दिनांक 10.04.25 को शाम 06:30 बजे से लेकर 10:00 बजे तक शराब ठेकों के आसपास व सड़क के किनारे सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों की चेकिंग का एक सघन अभियान चलाया गया, जिसमें ऐसे 487 व्यक्तियों को, जिनके द्वारा सार्वजनिक रूप से खुलेआम सड़क पर शराब का सेवन किया जा रहा था, जिससे वहां आने जाने वाले राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, उक्त सभी को हिरासत में लेकर थाने लाया गया व उनका मेडिकल कराते हुए 34 पुलिस एक्ट के अंतर्गत चालान किया गया। इस अभियान में सभी सहायक पुलिस आयुक्त, थाना प्रभारी व चौकी प्रभारियों के द्वारा विभिन्न स्थानों पर चेकिंग की गयी।

जोनवार चालान की स्थिति निम्नवत रही –

नगर जोन-215 , ट्रांस हिंडन जोन-157 , तथा ग्रामीण जोन-115 कुल -487 व्यक्तियों के विरुद्ध 34 पुलिस अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही अमल में लाई गयी।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा मादक पदार्थ अवैध गांजा सहित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 किलो 195 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

दिनांक 10.04.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध गांजा के साथ अभियुक्त अमित शर्मा पुत्र रामकिशन शर्मा निवासी एमडी पब्लिक स्कूल के पास सरस्वती विहार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 28 वर्ष को बाल्मिकी बस्ती के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 किलो 195 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध उक्त बरामदगी के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर 8/20 एडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं चोरी-छिपे राह चलते लोगों को व आस-पास की कॉलोनियों के लोगों को अवैध गांजा बेचकर रुपये कमाता हूँ और अपने शौक पूरे करता हूँ। मैं गांजा बेचने के लिए ले जा रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अमित शर्मा पुत्र रामकिशन शर्मा निवासी एमडी पब्लिक स्कूल के पास सरस्वती विहार थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 28 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त अवैध गांजा बरामदगी के सम्बन्ध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरणः-

01 किलो 195 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा छिनैती की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से छीना हुआ 01 मोबाइल फोन बरामद।

दिनांक 10.04.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा एक तहरीर दी गई कि अज्ञात बाइक सवार द्वारा पीछे से वादी के भतीजे के हाथ से उसका मोबाइल फोन छीन ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल धारा 304 बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया। तथा घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में आये अभियुक्त आदिल पुत्र इमामुद्दीन निवासी भुस वाली गली नीयर मक्की मस्जिद डाबर तालाब थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 21 वर्ष को चौकी क्षेत्र इन्द्रापुरी से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से छीना गया 01 मोबाइल फोन बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर उक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्ता ने पूछने पर बताया कि मैंने यह मोबाइल फोन एक व्यक्ति से इंद्रापुरी से छीना था जिसको मैं किसी राह चलते व्यक्ति को बेचने के लिये यहां खडा था कि आप ने मुझे पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पताः-

अभियुक्त आदिल पुत्र इमामुद्दीन निवासी भुस वाली गली नीयर मक्की मस्जिद डाबर तालाब थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 21 वर्ष।

आपराधिक इतिहास / पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा थाना लोनी बॉर्डर पर स्नैचिंग/ लूट /बरामदगी के 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 11.04.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित अभियुक्त गुलबहार पुत्र सिराजुद्दीन निवासी अल्वी नगर नीयर लाल मन्दिर थाना अंकुर विहार लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 48 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण -

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैंने अपने साथियों के साथ गिरोह बनाकर धोखाधडी व षडंयन्त्र करके पैसे व प्लॉट हडपने व धमकी देना जैसे अपराध कारित किये हैं। मैं अपने साथियो के साथ धोखाधडी व षडंयन्त्र करके पैसे व प्लाट हडपने के मुकदमों में पूर्व में जेल भी जा चुका हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

गुलबहार पुत्र सिराजुद्दीन निवासी अल्वी नगर नीयर लाल मन्दिर थाना अंकुर विहार लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 48 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना लोनी पर धोखाधडी व षडंयन्त्र करके पैसे व प्लाट हडपने व धमकी देने के संबंध में 02 अभियोग व गैगस्टर अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गयी 63 पेटी एवरेडी 12W LED BULB कुल सख्यां 1890 पीस व 12 पेटी 8W सिलिंग लाईट कुल सख्यां 480 पीस (अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रुपये) बरामद।

दिनांक 25-06-24 को श्री प्रवीन कुमार अग्रवाल (मैनेजर) निवासी आर0के0 कारवर्डिग कं0 678, मेजर आशाराम त्यागी मार्ग, मेरठ रोड गाजियाबाद थाना नन्दग्राम गाजियाबाद ने सूचना दी कि दिनांक 19-6-2024 को एक ट्रक सं0 UP -87-T-4125 को गाजियाबाद से रोहतक (हरियाणा) के लिए 956 पेटी एवरेडी का स्टॉक लोड किया गया है। उपरोक्त ट्रक अभी तक भी रोहतक नही पहुचा है। ट्रक ड्राइवर को फोन पर सम्पर्क करने की कोशिश की जा रही है पर उसका मोबाइल बन्द है, उपरोक्त सूचना पर थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना नन्दग्राम पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण- उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, टीमों का गठन कर घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरो व सर्विलांस व लोकल इनपुट की मदद से दिनांक 27-07-24 को 03 अभियुक्तगण को मय कैन्टर (ट्रक) मय 264 पेटी माल मय फर्जी रजि0ल नं0 प्लेट मय कुछ फर्जी कागजात के गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के

समक्ष पेश किया गया था, विवेचना के क्रम में आज दिनांक 11-04-25 को मुकदमें में वांछित चल रहे अभियुक्त को मय चोरी के 63 पेटी एवरेडी 12W LED BULB कुल सख्यां 1890 पीस व 12 पेटी 8W सिलिंग लाईट कुल सख्यां 480 पीस के सहित राज एम्पायर सोसायटी के आगे खंडर राजनगर एक्स0 से गिरफ्तार किया गया, अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-- अभियुक्त द्वारा पूछताछ पर बताया कि पकड़ी गयी पेटियो मे एवरेडी कम्पनी के बल्ब व सिलिंग लाईट है तथा अंकित मलिक पुत्र धर्मपाल नि0 ग्रां गुड्डा थाना गोहाना सिटी सोनीपत हरियाणा मेरा पुराना मित्र है यह माल मैने अंकित मलिक से खरीदा है जिसने मुझे बताया था कि मेरे पास एवरेडी कम्पनी का करीब 10 लाख रुपये की कीमत का माल है जो मै तुम्हे सस्ते दामो पर दे दूगां। यह माल मैने व मेरे साथियो ने पिछले साल एक कम्पनी से गाडी को बुक कराकर कम्पनी से माल लेकर गायब कर दिया था तथा कुछ माल पहले पकडा गया है तथा उसी घटना का यह माल बचा हुआ है अब घटना को काफी समय हो गया है अब किसी को कुछ पता नही चलेगा इसलिए मैने अकिंत मलिक से यह माल तीन लाख रुपये मे खरीदा है जिसके पैसे मैने उसे दे दिये है तथा आज मै इस माल को लेने आया था तथा अकिंत ने बताया था कि मै तुम्हे माल ले जाने के गाडी की व्यस्था करा दूंगा तथा अकिंत मलिक गाडी लेने गया है मै गाडी का ही इन्तजार कर रहा था तभी आपने पकड लिया है।

अभि0 का नाम व पता--

अकिंत पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी गाँव बहसवान खुर्द थाना बरौंदा जिला सोनीपत हरियाणा उम्र 24 वर्ष

बरामदगी का विवरण—

63 पेटी ऐवरेडी 12W LED BULB कुल सख्यां 1890 पीस

12 पेटी 8W सिलिंग लाईट कुल सख्यां 480 पीस

गिरफ्तारी करने वाली टीम--

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा दो पहिया वाहन चोरी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 स्कूटी बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 29.03.2025 को थाना शालीमार गार्डन पर वादी विष्णु कुमार पुत्र दुर्गादास गुप्ता निवासी सी-356 एस-2 शालीमार गार्डन एक्सटेंशन थाना शालीमार गार्डन जनपद गाजियाबाद द्वारा लिखित तहरीर दी कि दिनांक 21/22.03.2025 की रात्रि को अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरी स्कूटी को बिल्डिंग सी-356 की पार्किंग से चोरी कर लिया गया है। जिसके सम्बन्ध में तत्काल थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा धारा 303(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर टीमों का गठन किया गया। मैनुअल इनपुट, सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर खास की सूचना के आधार पर आज दिनांक 11.04.2025 को उक्त घटना को कारित करने वाला अभियुक्त 1. इमरान पुत्र मोहसिन निवासी म0नं0 ई-44 बी-13 न्यू सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 24 वर्ष को 80 फुटा रोड जीजी फार्म हाउस के पास थाना शालीमार गार्डन से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी की 01 स्कूटी बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त इमरान पुत्र मोहसिन के विरुद्ध धारा 303(2) बीएनएस में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त इमरान पुत्र मोहसिन से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त से बरामद उक्त स्कूटी को दिनांक 21/22.03.2025 की रात्रि को बिल्डिंग सी-356 की पार्किंग थाना शालीमार गार्डन से चोरी किया था। जिसे आज दिनांक 11.04.2025 को बेचने के लिये दिल्ली जा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

इमरान पुत्र मोहसिन निवासी म0नं0 ई-44 बी-13 न्यू सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 24 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

कब्जे से चोरी की 01 स्कूटी।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त इमरान पुत्र मोहसिन के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा सर्विलांस व सीसीटीवी फुटेज व मैनुअल इन्पुट की मदद से हत्या की घटना का 24 घण्टे के अन्दर सफल अनावरण करते हुये घटना में संलिप्त प्रकाश में आये 02 शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार जिनकी निशांदेही से आलाकत्ल पौना ईंट, मृतक दीपक का मोबाइल फोन व सिर की कैप ,पैरों की हवाई चप्पल व मृतक की स्पलैन्डर मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 10.04.2025 को वादी श्री कोमल प्रसाद शर्मा पुत्र स्व0 होती लाल शर्मा निवासी गली न0-1 कमल विहार थाना करावल नगर दिल्ली ने सूचना अंकित करायी कि दिनांक 06.04.2025 को उसका पुत्र दीपक अपने घर करावल नगर दिल्ली से साय 05.00 बजे अपने काम के सिलसिले में गया हुआ था जो वापस नहीं आया था उसके बेटे दीपक का मोबाइल दिनांक 07.04.2025 के दोपहर के बाद स्विच आफ होने के कारण कोई सम्पर्क नहीं हो पा रहा था। दिनांक 09.04.2025 को उसके पुत्र दीपक की बॉडी घिटौरा जंगल के गढ्ढो में पड़ी मिली थी। जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर दिनांक 10.04.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 11.04.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज व सर्विलांस व मैनुअल इन्पुट के आधार पर उपरोक्त घटना का 24 घण्टे के अन्दर सफल अनावरण करते हुये घटना में संलिप्त प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1. अभिषेक पुत्र राजेन्द्र बाल्मिकी उम्र करीब 21 वर्ष 2. रवि उर्फ कतरू कश्यप पुत्र राजा उम्र करीब 28 वर्ष निवासीगण राजधानी एन्कलेव निशान्त कॉलोनी पावी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद को रंजीत गेट के पास थाना क्षेत्र ट्रोनिका सिटी से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त अभिषेक ने पूछने पर बताया कि मैं डी.के. रेसीडेंसी अंकुर विहार गाजियाबाद में करीब 01 महीने से हाउस कीपिंग का कार्य करता था। मेरा कार्य होटल में जो भी कस्टमर रुकता था उसकी सारी व्यवस्था करना था। दिनांक 06.04.2025 को दीपक नाम का एक लडका आया था जिसे कमरा नं0 204 में ठहराया गया था। दीपक ने शराब पी रखी थी और मुझे भी अपने साथ शराब पिलायी थी। मैंने इसके पास मोबाइल फोन व कुछ पैसे देखे थे। मैं अपनी ड्यूटी समाप्त करके चला गया था। मुझे भागमल वाटिका पर मेरा दोस्त रवि मिला था मैंने उससे बताया था कि होटल में एक लडका रुका हुया है जिसके पास मोबाइल फोन व पैसे भी हैं उसे मैं साथ लेकर आंऊगा और साथ खायेंगे पीयेंगे और जब उसे नशा हो जाएगा तब उसका मोबाइल व पैसे भी ले लेंगे और उसे पता भी नहीं चलेगा। मैं दिनांक 07.04.2025 को होटल गया। दीपक नशे में था तथा वह होटल से चैकआउट कर रहा था। मैं दीपक को उसकी मोटरसाइकिल पर बैठा रहा था लेकिन दीपक नशे में होने के कारण बैठ नहीं पा रहा था मैंने अपना गमछा निकालकर अपनी कमर से उसकी कमर में बांधकर मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले गया। भागमल वाटिका के पास मेरा दोस्त रवि उर्फ कतरु मिला उसे मोटरसाइकिल पर पीछे बिठाकर हम मस्ती करते हुये घिटौरा के जंगल गढ्ढों में ले गये और मोटरसाइकिल से दीपक को उतारा फिर हम तीनों ने बैठकर शराब पी। काफी धूप हो रही थी। दीपक को ज्यादा नशा होने लगा था। हम दोनो से चिपट रहा था। जब हमने दीपक का विरोध किया तो दीपक ने धमकी दी की तुम्हारी पुलिस से शिकायत करुँगा। हमें लगा की हम फस जाएँगे। हम दोनो ने मिलकर दीपक को शराब पिलाने के बाद रवि ने पास में पडी पौंना ईंट उठाई और मैंने दीपक को कसके पकडा और रवि उर्फ कतरु ने दीपक के सिर के पीछे व सीने पर कई बार वार किये। दीपक बेहोश हो गया हमे लगा कि वह मर गया। हमने दीपक को घसीट कर गढ्ढो में डाल दिया। दीपक की सिर की कैप व हवाई चप्पल व ईंट को गढ्ढों में फैंक दिया व मोबाइल को जमीन में दबा दिया था तथा दीपक की मोटरसाइकिल को झाडियों में छिपाकर भाग गये थे।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-</u>

1.अभिषेक पुत्र राजेन्द्र बाल्मिकी निवासी राजधानी एन्कलेव निशान्त कॉलोनी पावी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 21 वर्ष।

2. रवि उर्फ कतरू कश्यप पुत्र राजा निवासी राजधानी एन्कलेव निशान्त कॉलोनी पावी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 28 वर्ष।

<u>बरामदी का विवरणः-</u>

निशांदेही से आलाकत्ल पौना ईंट, मृतक दीपक का मोबाइल फोन, सिर की कैप , पैरों की हवाई चप्पल व मृतक की स्पलैन्डर DL5SBP-2698 मोटरसाइकिल बरामद।

<u>आपराधिक इतिहास</u>

अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त घटना के संबंध में हत्या का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-</u>

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।